①

प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 00328/2025-2026 दिनांक 08/07/2025

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या: R/SAH/04792/2025-2026 पत्रावली संख्या:12602-S दिनांक:2015-2016

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **चौधरी जयराम मैमोरियल एजुकेशन सोसायटी, म0नं0 121,** ग्राम नौरंगपुर, डा0 जहानपुर जनपद सहारनपुर, सहारनपुर , **247129** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 07 दिनांक-13/04/2015 को दिनांक-13/04/2025 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।

1200 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

Digitally Signed By
(SHIVANDRA KUMAR PANDEY)
E2A6A8B95A5D18A23A95B657B838103B6A06F9ED
Date: 08/07/2025 3:20:01 PM, Location: Saharanpur.

जारी करने का दिनांक-08/07/2025

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

PRINCIPAL
A.R.D. PUBLIC SCHOOL
Vill.-Naurangpur Saharanpur (U.P.)

MANAGER
Chaudhary Jairam Memorial
Educational Society
Vill.-Naurangpur Saharanpur (U.P.)

:: नोट ::

यह नवीनीकरण प्रमाणपत्र संस्था के हित में निर्गत किया जा रहा है जो संस्था के अन्यथा विधिपूर्वक पंजीकृत रहने की दशा में ही मान्य है। इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र से किसी आवेदक, प्रबंध समिति अथवा किसी अन्य संबद्ध/असम्बद्ध व्यक्तिके किसी दावे , अधिकार, अनुतोष अथवा मान्यता की पुष्टि नही होती है तथा इन प्रयोजनो हेतु इस नवीनीकरण प्रमाण पत्र का प्रयोग किसी न्यायालय मे मान्य नहीं है। इस प्रमाण पत्र को केवल संस्था हित में निर्गत किया जा रहा है तथा किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष मे यह पठनीय नही होगा।

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

34AC 254375

यह जनरल स्टाम्प पेपर चौधरी जयराम मैमोरियल एजुकेशन सोसायटी, म० नं० 121 ग्राम नौरंगपुर डा० छुटमलपुर जनपद, सहारनपुर के संलग्नक-5 की सत्य प्रतियों के साथ संलग्न है।

उप निबन्धक सोसाइटीज एवं चिट्स

PRINCIPAL
A.R.D. PUBLIC SCHOOL
Vill.-Naurangpur Saharanpur (U.P.)

MANAGER
Chaudhary Jairam Memorial
Educational Society
Vill.-Naurangpur Saharanpur (U.P.)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

34AC 254374

यह जनरल स्टाम्प पेपर चौधरी जयराम मेमोरियल एजुकेशनल सोसायटी रजि. नं. 121 ग्राम नौरंगपुर उप प्रान्त डाकघर, सहारनपुर की नियमावली A की विनियमों के साथ संलग्न है!

सहायक निबन्धक सोसायटीज एवं चिट्स सहारनपुर

…04.15

AKS

MANAGER
Chaudhary Jairam Memorial
Educational Society
Vill.-Naurangpur Saharanpur (U.P.)

PRINCIPAL
A.R.D. PUBLIC SCHOOL
Vill.-Naurangpur Saharanpur (U.P.)

स्मृति-पत्र

1. संस्था का नाम : चौधरी जयराम मैमोरियल एजुकेशन सोसायटी ।

2. संस्था का पूरा पता : म0नं0 121 ग्राम नौरंगपुर डा0 जहानपुर, जनपद सहारनपुर।

3. संस्था का कार्यक्षेत्र : उत्तर प्रदेश ।

4. संस्था के उद्देश्य :

1. संस्था के माध्यम से सी0बी0एस0सी0, आई0सी0सी0, व यू0पी0 बोर्ड से मान्यता प्राप्त करना तथा अंग्रेजी माध्यम के स्कूल/कालेजों की स्थापना करना।
2. शैक्षणिक सेवाओं के अन्तर्गत विभिन्न स्कूल एवं पुस्तकालय खोलना तथा शिक्षा स्वास्थ्य एवं रोजगार हेतु समग्र विकास कार्य हेतु कार्यक्रम चलाना ।
3. सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम निर्धारित करना तथा विचार गोष्ठी, सेमीनार आदि की व्यवस्था करना।
4. पर्यावरण सुधार के लिए वृक्षारोपण बंजरभूमि सुधार कार्यक्रम चलाना सरकार के सहयोग से फलदार पौधो का वितरण करना।
5. समाज में शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु प्रथम से उच्च शिक्षण संस्थायें (हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम) स्थापित करना।
6. समाज के पिछडे हुये अपेक्षित वर्ग के लोगो को शैक्षणिक सामाजिक विकास हेतु प्रोत्साहित करना असहाय बच्चो के भरण पोषण तथा उनके योग्य बनाने हेतु प्रयास करना और स्वास्थ्य केन्द्रो की स्थापना करना।
7. सामूहिक कार्य द्वारा सहयोगी भावनाओं का विकास करना श्रमदान ग्रामो में सफाई जैसे कार्य सामूहिक रूप से करना तथा समाज कल्याण आदि शोध दृष्टिकोण का प्रचार कर उनमें अहिंसा रचनात्मक कार्य करना।
8. मंद बुद्धि, नेत्रहीनों तथा विकलांगों आदि के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रबन्ध करना तथा कम्प्यूटर शिक्षा का प्रचार प्रसार करना।
9. संस्था के माध्यम से गरीब व असहाय बच्चों को खेलकूद आदि का प्रशिक्षण देना तथा कोचिंग के द्वारा विभिन्न सरकारी नौकरियों हेतु मुफ्त प्रशिक्षण देना।
10. अन्य ऐसे आवश्यक एवं उचित कार्यक्रम एवं नीतियां निर्धारित करना जिससे सामान्य जनता को शैक्षणिक एवं आर्थिक- विकास प्राप्त हो सके।

सत्य प्रतिलिपि

रोशनी देवी

AK Saini

सोनासिंह

कौशल्या

शिखा सैनी

मेघराज सैनी

MANAGER
Chaudhary Jairam Memorial
Educational Society
Vill.-Naurangpur Saharanpur (U.P.)

PRINCIPAL
A.R.D. PUBLIC SCHOOL
Saharanpur (U.P.)

5 (5)

5. प्रबन्धकार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यो के नाम, पिता का नाम, पता, पद, तथा व्यवसाय जिनको नियमानुसार संस्था का कार्यभार सौंपा गया है।

क्र0सं0	नाम व पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री दिलाराम पुत्र श्री जयराम	ग्राम नौरंगपुर, पोस्ट जहानपुर जनपद-सहारनपुर	अध्यक्ष	समाजसेवा
2.	श्रीमती बाला देवी पत्नी श्री ज्ञान सिंह	ग्राम भैसराऊ, पोस्ट छुटमलपुर जनपद-सहारनपुर।	उपाध्यक्ष	गृहणी
3.	अनिल कुमार पुत्र श्री दिलाराम	ग्राम नौरंगपुर, पोस्ट जहानपुर जनपद-सहारनपुर।	प्रबन्धक	नौकरी
4.	श्री ज्ञान सिंह पुत्र श्री किशम सिंह	ग्राम भैसराऊ, पोस्ट छुटमलपुर जनपद-सहारनपुर	उप प्रबन्धक	समाजसेवा
5.	श्री मेघराज पुत्र श्री देशराज	ग्राम ताल्हापुर, पोस्ट ताल्हापुर जनपद सहारनपुर।	कोषाध्यक्ष	व्यापार
6.	श्रीमती रोशन देवी पत्नी श्री दिलाराम	ग्राम नौरंगपुर, पोस्ट जहानपुर जनपद-सहारनपुर	सदस्य	ग्रहणी
7.	श्रीमती शिखा सैनी पत्नी श्री सुधीर कुमार	ग्राम नौरंगपुर, पोस्ट जहानपुर जनपद सहारनपुर।	सदस्य	ग्रहणी
8.	श्री सुखपाल सिंह पुत्र श्री बल्लू सिंह	ग्राम ताल्हापुर, डा0 खास, जनपद सहारनपुर।	सदस्य	समाजसेवा
9.	श्री कपिल कुमार पुत्र श्री महेन्द्र सिह	ग्राम जहानपुर, डा0 खास जनपद सहारनपुर।	सदस्य	समाजसेवा

6. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता उपरोक्त स्मृति पत्र के अनुसार अपनी संस्था का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत कराना चाहते हैं।

ज्ञानसिंह
AKumar बाला
शिखा सैनी
सुखपाल सिंह
रोशन देवी
मेघराज सैनी

AKumar
MANAGER
Chaudhary Jairam Memorial Educational Society
Vill.-Naurangpur Saharanpur (U.P.)

PRINCIPAL
A.R.D. PUBLIC SCHOOL
Vill.-Naurangpur Saharanpur (U.P.)

(6)

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

IN-UP51288861942560X

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UP51288861942560X
Certificate Issued Date	:	22-Jul-2025 02:03 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14136004/ SAHARANPUR SADAR/ UP-SHR
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14136004002889040393334X
Purchased by	:	CHOUDHARY JAI RAM MEMORIAL SOCIETY
Description of Document	:	Article 24 Copy or Extract
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	CHOUDHARY JAI RAM MEMORIAL SOCIETY
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	CHOUDHARY JAI RAM MEMORIAL SOCIETY
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

Please write or type below this line

यह जनरल स्टाम्प पेपर–चौधरी जयराम मैमोरियल एजुकेशन सोसायटी, म0नं0 121 ग्राम नौंरगपुर डा0 जहानपुर, जिला–सहारनपुर की संशोधित नियमावली की सत्यप्रतिलिपि के साथ संलग्न है।

कार्यालय सहायक निबन्धक सोसायटीज उ0प्र0 सहारनपुर क्षेत्र सहारनपुर

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
सहारनपुर मण्डल सहारनपुर।
24/07/2025

AK Saini

PRINCIPAL
A.R.D. PUBLIC SCHOOL
Vill.-Naurangpur Saharanpur (U.P.)

MANAGER
Chaudhary Jairam Memorial Educational Society
Vill.-Naurangpur Saharanpur (U.P.)

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

(7)

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम : चौधरी जयराम मैमोरियल एजुकेशन सोसायटी।

2. संस्था का पता : म0नं0 121 ग्राम नौरंगपुर डा0 जहानपुर, जनपद सहारनपुर।

3. संस्था का कार्यक्षेत्र : उत्तर प्रदेश।

4. संस्था के उद्देश्य : स्मृति पत्र के अनुसार ही होंगे।

5. सदस्यता तथा वर्ग : (अ) **आजीवन सदस्य** : आजीवन सदस्य वर्ग की संख्या सीमित रहेगी अर्थात वह व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी हो और वह सामाजिक एवं नैतिक चाल चलन से ठीक हो तथा जिसको प्रबन्धकारिणी समिति ने अपनी लिखित स्वीकृति प्रदान की हो तथा संस्था के नियमानुसार निर्धारित सदस्यता शुल्क 2100/- रूपये अदा किया हो आजीवन सदस्य बन सकेगा।

(ब) **साधारण सदस्य** :- साधारण सदस्य वर्ग की संख्या असीमित रहेगी अर्थात वह व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्श हो चुकी हो और वह सामाजिक एवं नैतिक चाल चलन से ठीक हो तथा जिसको प्रबन्धकारिणी समिति ने लिखित स्वीकृति प्रदान की हो तथा संस्था के नियमानुसार निर्धारित सदस्यता शुल्क 1100/- रूपये अदा किया हो साधारण सदस्य बन सकेगा।

कार्यालय सहायक निबन्धक सोसायटीज़ उत्तर सहारनपुर क्षेत्र सहारनपुर

6. सदस्यता की समाप्ति : सदस्यता की समाप्ति निम्नलिखित में से किसी एक कारण अथवा एक से अधिक कारण होने पर समाप्त समझी जायेगी।

1. मृत्यु हो जाने पर
2. पागल अथवा दिवालिया होने पर।
3. किसी न्यायलय से दण्डित किये जाने पर
4. स्वयं त्याग पत्र दिये जाने पर
5. 18 वर्ष से कम आयु होने पर
6. अध्यक्ष एवं सचिव के निर्देशों का पालन न करने पर।
7. संस्था विरोधी तीन मीटिंगों में उपस्थित न होने पर।
8. सदस्यता शुल्क समय से न देने पर।

PRINCIPAL
A.R.D. PUBLIC SCHOOL
Vill.-Naurangpur Saharanpur (U.P.)

AK Soni

नानासिंह

बाला

शिखा सैनी

सत्य प्रतिलिपि
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
सहारनपुर मण्डल सहारनपुर।

MANAGER
Chaudhary Jairam Memorial
Educational Society
Vill.-Naurangpur Saharanpur (U.P.)

AK Soni

सुखपाल सिंह मधराज सैनी

7. संस्था के अंग : 1- साधारण सभा।

2- कार्यकारिणी प्रबन्धकारिणी समिति।

1- साधारण सभा : 1-गठन :-

सभी प्रकार के सदस्यों द्वारा साधारण सभा का गठन होगा। इन सदस्य संख्या पर प्रतिबन्ध नहीं होगा। बैठक का कोरम कुल संख्या का 2/3 होगा किन्तु नियमावली में परिवर्तन या किसी सदस्य के विरूद्ध अप्रस्ताव पर विचार करने कोरम कुल संख्या 3/4 होगा। एक कोरम के अभाव में स्थगित बैठक दोबारा कोरम के बन्धन से मुक्त होगी।

2-बैठक :-

सामान्य बैठक वर्ष में दो बार विशेष बैठक आवश्यकता पडने पर कभी भी बुलायी जा सकती है।

3- सूचना :-

सामान्य बैठक की सूचना सात दिन पूर्व विशेष बैठक की सूचना तीन दिन पूर्व दी जायेगी।

4- गणपूर्ति :-

साधारण सभा की बैठक की गणपूर्ति 2/3 बहुमत के आधार पर की जायेगी।

5- अधिकार व कर्तव्य :-

साधारण सभा संस्था की अचल सम्पत्ति पर अधिकार रखेगी। किसी सदस्य के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करना नियमावली में परिवर्तन या परिवर्धन में साधारण सभा के अधिकारों में होगा। प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार में साधारण सभा हस्तक्षेप नही करेगी। प्रत्येक पांच वर्ष बाद प्रबन्ध समिति का चुनाव करना, बजट पास करना, आय व्यय की रिपोर्ट पास करना।

9. प्रबन्धकारिणी समिति : 1- गठन :-

साधारण सभा के सदस्य द्वारा अपने में से प्रबन्धकारिणी समिति का गठन किया जायेगा। जिसमें पदाधिकारी सदस्य निम्न प्रकार से होगे। (1) अध्यक्ष (2) उपाध्यक्ष (3) प्रबन्धक (4) उपप्रबन्धक, (5) कोषाध्यक्ष (6) सदस्य-4

2- बैठक

प्रबन्ध समिति की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार विशेष बैठक आवश्यकता पडने पर कभी भी बुलायी जा सकती है।

PRINCIPAL
A.R.D. PUBLIC SCHOOL
Vill.-Naurangpur Saharanpur (U.P.)

सत्य प्रतिलिपि

24/07/2025

MANAGER
Chaudhary Jaimal Memorial
Educational Society

3- कोरम-

प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक की गणपूर्ति 2/3 बहुमत के आधार पर की जायेगी।

4- सूचना

सामान्य बैठक की सूचना तीन दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व दी जायेगी।

5- रिक्त स्थानों की पूर्ति -

प्रबन्धकारिणी समिति के रिक्त स्थानों की पूर्ति शेष अवधि के लिए आम सभा में से 2/3 बहुमत के आधार पर की जायेगी।

6- विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि -

विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि प्रबन्ध समिति द्वारा तय की जायेगी।

7- प्रबन्धकारिणी सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :

प्रबन्धकारिणी सभा को अधिकार होगा कि वह सभा में प्रस्तुत प्रस्ताव सुझाव यदि उचित समझे पास करें अथवा निरस्त करे अथवा संशोधन करें किसी व्यक्ति की वैतनिक या अवैतनिक रूप में नियुक्त करें अथवा हटावें संस्था के खर्चो से सम्बन्धित बिलों को पास करें तथा अन्य आवश्यक कार्य जिनकी समय-समय पर प्रबन्धकारिणी की ओर से कार्यवाही आवश्यक हो उनको कार्यान्वित करें।

8- कार्यकाल -

कार्यकारिणी सभा का कार्यकाल 5 साल के लिए होगा।

10. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :

1-अध्यक्ष

1. समस्त बैठको की अध्यक्षता करना।
2. संस्था का समस्त प्रबन्ध संचालन करना तथा प्रबन्ध कार्यकारिणी को संरक्षण प्रदान कर संस्था के हितार्थ दिशा निर्देश देना।
3. संस्था के सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे मुहर, केशबुक, स्टॉक बुक, चैकबुक आदि अपने पास रखना तथा उनका प्रयोग करना।
4. अचल सम्पत्ति का प्रबन्ध करना दान अनुदान, चन्दा आदि प्राप्त करना। सभी लेखों पर हस्ताक्षर करना।

PRINCIPAL
A.R.D. PUBLIC SCHOOL
Vill.-Naurangpur Saharanpur (U.P.)

सत्य प्रतिलिपि

MANAGER
Chaudhary Jairam Memorial
Educational Society
Vill.-Naurangpur Saharanpur (U.P.)

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
सहारनपुर मण्डल सहारनपुर।
24/07/2025

(10)

5. संस्था की समस्त चल अचल सम्पत्ति तथा उसके सामान्य प्रशासन की देख-रेख का उसे पूरा अधिकार होगा।
6. संस्था के लिए दान, चन्दा, अनुदान प्राप्त करना तथा उल्टे रसीद देना।
7. कानूनी कार्यवाही में संस्था का प्रतिनिधित्व करना।

2- उपाध्यक्ष :-

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके सभी कार्य करना तथा उनके हर कार्य में सहायता करना।

3- प्रबन्धक

1. बैठक बुलाने के लिए एजेण्डा जारी करना और कार्यवाही अंकित करना।
2. मीटिंग /बैठकों के द्वारा सदस्यों को बोलने की अनुमति प्रदान करना।
3. किसी भी बैठक के लिए अध्यक्ष से सलाह लेकर सूचना पत्र अपने हस्ताक्षर से जारी करना व बैठको के लिए एजेण्डा पारित करना।
4. संस्था के लिए दान चन्दा अनुदान प्राप्त करना तथा उल्टे रसीद देना।

4- उप प्रबन्धक -

प्रबन्ध की अनुपस्थिति में उसके सभी कार्यों को करना एवं अधिकारों का उपयोग करना।

5- कोषाध्यक्ष :-

1. अध्यक्ष का लेखों के संचालन में सहयोग देना तथा पांच सौ रूपये तक व्यय करना।
2. अध्यक्ष के साथ बैंक से सम्बन्धित सभी कार्य करना।
3. आय-व्यय का लेखा जोखा तैयार करना।
4. आवश्यकता पडने पर आडिटर से आडिट कराना।

12. संस्था का कोष : संस्था का कोष किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या डाकघर में खोला जायेगा तथा जिसका संचालन अध्यक्ष व कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा किया जायेगा।

कार्यालय सहायक निबन्धक सोसायटीज उ०प्र० सहारनपुर क्षेत्र सहारनपुर

PRINCIPAL
A.R.D. PUBLIC SCHOOL
Vill.-Naurangpur Saharanpur (U.P.)

AK Saini

MANAGER
Chaudhary Jairam Memorial
Educational Society
Vill.-Naurangpur Saharanpur (U.P.)

सत्य प्रतिलिपि
AK Saini

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
सहारनपुर मण्डल सहारनपुर।
24/07/2025

ज्ञान सिंह बाला शिखा सैनी सुखपाल सिंह मेघराज सैनी

13 आय का स्रोत : 1. Foreign Grants
2. Government Donation
3. Government Loan
4. Membership Fee
5. General Donation

14 संस्था द्वारा अथवा उनके विरूद्ध कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व : संस्था के विरूद्ध एवं उसके पक्ष में होने वाली संस्था की समस्त कार्यवाही का संचालन अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

15. संस्था के अभिलेख : 1. सदस्यता रजिस्टर
2. कार्यवाही रजिस्टर
3. एजेण्डा रजिस्टर
4. कैशबुक / स्टाक रजिस्टर
5. अन्य वे समस्त अभिलेख जो संस्था के हित में आवश्यक हो।

16. संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही : संस्था का विघटन और सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

17. नियमों में परिवर्तन : संस्था के नियमों तथा विनियमों मे संशोधन होता है तो उसे साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित कराया जायेगा।

PRINCIPAL
A.R.D. PUBLIC SCHOOL
Vill.-Naurangpur Saharanpur (U.P.)

MANAGER
Chaudhary Jairam Memorial
Educational Society
Vill.-Naurangpur Saharanpur (U.P.)

प्रतिबन्ध :-

(1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(2) विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

(3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिनन कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा।

सत्य प्रतिलिपि

(4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नही की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय का सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेन्ड्री एजुकेशन नई दिल्ली/काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट

ज्ञानसिंह बाला   सुखपाल सिंह   मेघराज सैनी
शिक्षा सैनी

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
सहारनपुर मण्डल सहारनपुर।

एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धिता प्राप्त होने की तिथि से परिषद को मान्यता और राजय सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

(5) संस्था द्वारा शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेंगे।

(6) कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

(7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी निर्गत किये जायेगे संस्था उसका पालन करेगी।

(8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

(9) उत्तर प्रदेश शिक्षा संहिता की धारा 105 से 107 के अन्तर्गत विभिन्न वर्गो के छात्रों को अनुमन्य शुलक मुक्ति संस्था के छात्रों को प्रदान की जायेगी।

(10) उक्त शर्तो में राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन परिवर्धन नही किया जायेगा।

दिनांकः

हस्ताक्षर -

सत्य प्रतिलिपि

PRINCIPAL
A.R.D. PUBLIC SCHOOL
Vill.-Naurangpur Saharanpur (U.P.)

MANAGER
Chaudhary Jairam Memorial
Educational Society
Vill.-Naurangpur Saharanpur (U.P.)

AKSharma ज्ञानसिंह
शिखा सैनी

सत्य प्रतिलिपि

सुखपाल सिंह मेघराज सैनी

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज़ एवं चिट्स
सहारनपुर मण्डल सहारनपुर।
24/07/2015